भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

AR 410737

Treasury Officer

18 SEP 2023

BHOJPUR, ARRAH

Supplementary Form of Agreement

RATE:- 0.21% (ZERO DECIMAL TWO ONE) Below From B.O.Q. Rate

Note on standard Form of Agreement .
The Supplementary cost of Agreement of **Rs. 17,46,415.00 (Seventeen Lakh Forty Six Thousand Four Hundred Fifteen Rupees) Only** due to revision of estimated cost.

Supplementary AGREEMENT NO:- ..05.. Supp./PMGSY/SBD/2022-23 (PMGSY III)

The Agreement no. **05/ PMGSY/SBD/2022-23** (PMGSY III) of Construction of road with Maintenance work of **Package No. BR07P3R08 Name of Road- MRL10-GARHANI AGIAON ROAD TO BANKAT (Length-5.660 K.M.) under Agiaon block** is being revised on the ..29th..day of ...September........2023 between Executive Engineer R.W.D. (w) Division Ara (here in after called the "Employer") of the one part, and **Sri Amarnath Singh At- Near NCC office Katira, Ara Dist- Bhojpur** (here in after called "contractor") of the other part revised from **Rs.2,97,50,512=00** to **Rs. 3,14,96,927.00 (Rs. Three Crore Fourteen Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Twenty Seven Rupees)** only.EMD details at reverse

Executive Engineer
RWD (W) Div., Ara
27-09-23

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, ARA

Supplementary Agreement

(HEAD- PMGSY-III)

Name of Work:- MRL10-GARHANI AGIAON ROAD TO BANKAT

Name of Agency:- Sri Amarnath Singh At- Near NCC office Katira, Ara Dist- Bhojpur

Supplementary Agreement No- 05 Supp./ PMGSY/SBD/2022-23 (PMGSY III)

Agreement Starting Date:- 09.09.2022

Agreement Ending Date:- 08.09.2023

Supplementary Agreement

Sl No	Name of Road	Length (In KM)	Const. cost (In Lakh)	Maint. Cost (In Lakh)	Total (In Lakh)
1	MRL10-GARHANI AGIAON ROAD TO BANKAT	5.66	17.46415	0.00	17.46415

Signature of the Contractor

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Ara.

Executive Engineer
RWD (W) Div. Ara

29/09/23

29/09/2023

29.09.23

मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–1 / प्रा0–05–160 / 2023 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **आरा।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** के अधीन **शीर्ष PMGSY-III** अन्तर्गत स्वीकृत कुल **01 (एक)** अदद योजना का पथ मरम्मति एवं पॉच वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर **संशोधित (Modified)** प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक **1944** अनु0 दिनांक **24.07.2023** एवं आपका पत्रांक **712** अनु0 दिनांक **19.09.2023**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **01 (एक)** अदद पथ के प्राक्कलन का **इस कार्यालय के पत्रांक 523 अनु0 दिनांक 15.07.2022 द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति को रद्द करते हुए पुनः संशोधित (Modified) प्रावैधिक स्वीकृति** प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि तथा संशोधित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

1. **पूर्व में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के बदले संशोधित तकनीकी स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1944 अनु0 दिनांक 24.07.2023 के आलोक में सिर्फ स्वीकृत 2 Coat Surface Dressing के स्थान पर 25 mm thick Mix Seal Surface Type B का प्रावधान का प्रायोजन के तहत प्रदान की जाती है।**
2. निर्माण कार्य **PMGSY-III** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, **आरा** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Executive Engineer
RWD (W) Div. Ara
29.09.23

29/09/2023

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** के अधीन शीर्ष **PMGSY-III** योजनान्तर्गत संशोधित (Mod...
प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूचीः–

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	संशोधित (Modi... तकनीकी ... की राशि (नि... कार्य एवं अनु... कार्य) (लाख ...)
1	2	3	4	5	7
1	Block-Agion, Garhani Agiaon Road To Bankat (Package No-BR07P3R08)	5.660	Letter N0- **1643** Date- **30.06.2022**	312.98	315.63...

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–

मुख्य अभियंता–1

ज्ञापांकः– 3056 अनु०

पटना, दिनांकः– 22/9/23

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित/कार्यपालक अ... ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** को सूचनार्थ एवं प्राक्कलन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आ... कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/23

मुख्य अभियंता–1

29/09/23

Executive Engineer
RWD (W) Div., Ara

29.09.23

29/9/2023

Pmsgy
81/22-9-23

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नामः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृतिः– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. **संशोधित (Modified)** प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट **'क'** के स्तम्भ **06** में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत **संशोधित (Modified)** प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य **अंचल, आरा** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. **संशोधित (Modified)** प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष **PMGSY-III** योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।

29/09/23
Executive Engineer
RWD (W) Div., Ara
29.09.23

29/09/2023

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसक कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्राव अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अं को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण सं संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्रा लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिक अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्य अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकडो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव त अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं क जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधान यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की दु निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।
31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वह कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान क हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता–1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

29/09/2023

Executive Engineer
RWD (W) Div., Ara
29/9/23

29.09.23

vide of A/A vide letter no – BRRDA(HQ)-PMGSY-195/2022 – 1643 dt 30.06.2022